

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

मुख्यालय: राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ- 226007,
दूरभाष: +91 9151602229, +91 9151642229

क्षेत्रीय कार्यालय: एच-169, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201308,
दूरभाष: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, E-mail: contactuprera@up-rera.in, Twitter: https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBdIV3UWtl-tGBhPVA&s=08,

Facebook: https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL, Youtube: https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qajA0VbA4fj-Oyao

प्रेस नोट- 13 मार्च 2024

क्यू.आर. कोड युक्त परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति आवंटियों को उपलब्ध करायें प्रोमोटर्स- उ.प्र. रेरा

- परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नए स्वरूप में अब क्यू.आर. कोड भी दिया जा रहा है जिसे मोबाइल से स्कैन करके सीधे रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी देखी जा सकती है।
- पंजीकरण प्रमाण-पत्र में परियोजना तथा प्रोमोटर का नाम, पंजीकरण का महीना तथा साल, परियोजना के प्रारम्भ तथा पूर्ण होने की तिथि सहित निर्माण अवधि तथा परियोजना तथा प्रोमोटर के पते देखे जा सकते हैं।
- क्यू.आर. कोड से लैस मॉडर्न पंजीकरण प्रमाण-पत्र को प्रोमोटर के कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजना के साइट कार्यालय में प्रदर्शित करना अनिवार्य।
- वेबसाइट तथा विज्ञापनों में क्यू.आर. कोड होने से घर खरीदारों को रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी।

लखनऊ/गौतमबुद्धनगर: उ.प्र. रेरा द्वारा हाल में रियल इस्टेट परियोजना के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के स्वरूप में बदलाव किया गया है। अब प्रमाण-पत्र सचिव रेरा के डिजिटल सिग्नेचर से जारी हो रहे हैं और उनमें परियोजना का एक क्यू.आर. कोड भी डाला जा रहा है। इस प्रमाण-पत्र में परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक विवरण, जैसे कि परियोजना का नाम, प्रोमोटर का नाम, पंजीकरण का महीना तथा साल, परियोजना के प्रारम्भ तथा पूर्ण होने की तिथि सहित निर्माण अवधि तथा परियोजना तथा प्रोमोटर के अंकित पते प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अलावा प्रमाण-पत्र में रजिस्ट्रेशन की मुख्य शर्तें जैसे कि प्रोमोटर द्वारा आवंटियों से प्राप्त धनराशि का कम से कम 70 प्रतिशत और परियोजना के विकास के लिए बैंक से लिए गए ऋण की सम्पूर्ण धनराशि परियोजना के पृथक खाते में जमा की जाएगी तथा परियोजना के निर्माण तथा भूमि की लागत पर ही खर्च की जा सकेगी, अंकित किए गए हैं।

प्रोमोटर्स को निर्देश दिए हैं कि क्यू.आर. कोड से लैस मॉडर्न पंजीकरण प्रमाण-पत्र को बड़े आकार में प्रिंट करके अपने कार्यालय तथा परियोजना स्थल पर मार्केटिंग कार्यालय में किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें जिससे आवंटियों द्वारा दूर से ही देखा जा सके। आवंटियों द्वारा प्रमाण-पत्र के क्यू.आर. कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकता है और उ.प्र. रेरा के वेब पोर्टल पर परियोजना की भूमि, मानचित्र तथा अन्य स्वीकृतियों, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जैसे समस्त विवरण देखे जा सकते हैं। बताते चलें कि यह प्रमाण-पत्र फॉर्म-सी में जारी किया जाता है।

श्री संजय भूसरेड्डी अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा द्वारा जानकारी दी गयी कि उ.प्र. रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दी गयी नयी विशिष्टियों को होम बायर्स के सशक्तिकरण तथा सेक्टर में पारदर्शिता का माध्यम बनाना चाहता है। इसीलिए हमने प्रोमोटर्स को परामर्श दिया है कि वह इस क्यू.आर. कोड को अपनी वेबसाइट, समस्त विज्ञापनों, ब्रोशर्स, स्टैण्डीज़, होर्डिंग्स तथा सोशल मीडिया पेज पर प्रदर्शित करें। उ.प्र. रेरा रियल इस्टेट सेक्टर में प्रोमोटर्स की जिम्मेदारी तय करने, उनके व्यापार पद्धति में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने, सेक्टर में मानकीकरण तथा उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रोमोटर्स के वेबसाइट तथा परियोजना के विज्ञापनों में परियोजनाओं का क्यू.आर. कोड होने से घर खरीदारों को रेरा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी।



U.P. Real Estate Regulatory Authority

Rajya Niyojan Sansthan, Navin Bhawan, Kalakankar House
Old Hyderabad, Lucknow- 226007, Tel: +91 9151602229, +91 9151642229

Regional Office, H-169, Gamma-II, Gr. Noida, Gautambuddh
Nagar- 201308, Tel: +91 9151672229, +91 9151682229, 0120-2326111

Website: www.up-rera.in, E-mail: contactuprera@up-rera.in, **Twitter:** <https://x.com/UPRERAofficial?t=4uwoQBdIV3UWtl-tGBhPVA&cs=08>,
Facebook: <https://www.facebook.com/upreraofficial?mibextid=ZbWKwL>, **Youtube:** <https://youtube.com/@UPRERAOfficial?si=qajaOVbA4fj-Oyao>

Press Note- 13th March 2024

RERA directs the promoters to provide project registration certificate embedded with QR code to home buyers

- The redesigned project registration certificate has QR code which can be scanned and thus all project related information instantly fetched from RERA portal.
- The registration certificate has name of the project and promoter, month and year of registration, commencement and completion dates, addresses of the project and promoter.
- U.P. RERA directs promoters to prominently display the registration certificate with QR code in their corporate and project site offices for the benefit of the consumers.
- Giving this QR code on the promoter's website and advertisements will help home buyers to check details of project from RERA portal easily.

Lucknow: U.P. RERA has recently redesigned the certificate for registration of projects. The registration certificate is now digitally signed by the Secretary and has also been assigned a QR Code. The registration certificate includes relevant details of the project, including its name, the name of the promoter, the registration number with details of month and year, its duration including the start and completion date, the project and the promoter addresses. It is also loaded with the important conditions of registration like the obligation of the promoter to deposit 70 percent of the amount realized from the allottees and all the moneys raised through project finance, in a separate bank account for being utilized only to cover the cost of construction and that of the project land.

U.P. RERA has directed the promoters to print QR code loaded project registration certificate and display the same at prominent location in its office and the project site marketing office so that it is visible to the prospective and existing home buyers of the project from a distance. The home buyers can scan the QR Code of the certificate through their mobile phones and see the details of the project, including the details relating to the land, approvals, quarterly progress report etc, on the web portal of the Authority. The project registration certificate is being issued in Form-C.

It was stated by Sh. Sanjay R. Bhoosreddy, Chairman, U.P. RERA that the object of RERA is to usher an era of accountability, transparency and standardization in the real estate sector and to ensure the protection of the consumer rights by keeping the allottees informed on all the aspects which are important to them as home buyers. We intend to make the new feature on the registration certificate an instrument for the transparency and for empowerment of the home buyers. We have advised the promoters to imbibe the QR Code on their websites, promotional advertisements, brochures, standees, hoardings and social media pages also.

The QR code of projects on website of promoters and all kind of advertisements will encourage home buyers to check details from RERA portal easily.